



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:21470

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 1784 वर्ष 2016

देवेंद्र कुमार शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकों के अधिवक्ता

: सुदीप कुमार, अवधेश कुमार पाण्डेय

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, हरि बक्स सिंह

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रिज राज सिंह,

1. मामले को पुनरीक्षण सूचि में पुकारा गया। विरोधी पक्षकार संख्या 3 और 4 की ओर से

आवेदन का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने इस आवेदन की सुनवाई शुरू की।
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी०आर०पी०सी०") की धारा 482 के तहत यह आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, लखीमपुर खेरी द्वारा शिकायत मामला संख्या 53/2011 (अहिंसक बाजपेयी बनाम सुखबीर सिंह) में दिनांक 03.04.2015 को पारित समन आदेश और सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/एफ०टी०सी०, लखीमपुर खेरी के न्यायालय में लंबित शिकायत मामला संख्या 53/2011 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. आवेदक की ओर से बताए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विरोधी पक्षकार संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी ने 23.04.2004 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खेरी के समक्ष धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदक और तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुखबीर सिंह के विरुद्ध आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 7/8 फरवरी, 2004 की रात को चीनी की बोरियां जो ढेर में रखी थीं, फिसल गईं, जिसके कारण चार मजदूरों की मृत्यु हो गई और तीन मजदूर घायल हो गए। इसके अलावा, आवेदक और कार्यकारी अध्यक्ष ने अनुभवहीन श्रम ठेकेदार को काम पर लगाया, जबकि केवल लाइसेंसधारी मजदूर ही काम कर सकते थे। लेकिन वास्तव में काम अकुशल श्रमिकों से लिया जा रहा था। अकुशल श्रमिकों से बोरियों को ढेर लगाने का काम लिए जाने के कारण, बोरियों का ढेर तिरछा हो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया था। आरोप है कि आवेदक को संभावित गंभीर दुर्घटना की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने अकुशल श्रमिकों से काम लिया।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना को रंग देने के लिए विरोधी पक्षकार संख्या 3 ने आरोप लगाया है कि 07.02.2004 को दिन के समय विरोधी पक्षकार संख्या 3 अपने मित्र के साथ उपचार संयंत्र में गया था और मृतकों में से एक ने चीनी की बोरियों के तिरछे ढेर के बारे में शिकायत की थी और आवेदक को शिकायत किए जाने पर, आवेदक ने विरोधी पक्षकार संख्या 3 को जान से मारने का प्रयास किया और उसकी एचएमटी घड़ी भी छीन ली।
6. आगे यह भी बताया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या 3 के आवेदन पर मजिस्ट्रेट ने संबंधित पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगवाई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का आदेश पारित किया। यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर, खमरिया पंडित पुलिस स्टेशन में धारा 304ए, 307, 352, 323, 392 आईपीसी के तहत दिनांक 13.05.2004 को मुकदमा अपराध संख्या 131/2004 के रूप में FIR दर्ज की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आगे यह भी बताया गया है कि जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच की और जांच के दौरान जांच एजेंसी को किसी भी संज्ञेय अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिला और परिणामस्वरूप 22.05.2004 को मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
8. आगे यह भी बताया गया है कि जब उपर्युक्त अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष विचार के लिए आई, तो मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता यानी विरोधी पक्षकार संख्या 3 को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद अधिवक्ता श्री अजय कुमार शुक्ला शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विरोधी पक्षकार संख्या 4/धर्मेन्द्र सिंह सूर्यवंशी और बृज किशोर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिकाएं दायर कीं।
9. आगे यह भी कहा गया है कि विरोध याचिका में विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने विरोधी पक्षकार संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के कथनों को फिर से दोहराया है। विरोध याचिका के अनुच्छेद 6 में विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने कहा कि 07.02.2004 को वह अपने मित्र श्री अहिंसक बाजपेयी के साथ चीनी मिल गए थे। 08.03.2010 को मजिस्ट्रेट ने पाया कि चूंकि जांच अधिकारी ने केवल मुखबिर का बयान दर्ज किया है और धौराहरा के उप-विभागीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने 08.03.2010 के आदेश द्वारा जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट को खारिज कर दिया और थाने के अधिकारी, ईशानगर पुलिस स्टेशन, जिला लखीमपुर खेरी को पुनः जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

10. आगे यह भी बताया गया है कि जांच एजेंसी ने मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.03.2010 को पारित आदेश के अनुसरण में पुनः विस्तृत जांच की और जांच के बाद, जांच एजेंसी ने पुनः अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.07.2010 के आदेश द्वारा शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किए। विरोधी पक्षकार संख्या 3 को नोटिस तामील किए जाने से पहले, विरोधी पक्षकार संख्या 4, जिसका विरोधी पक्षकार संख्या 3 द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं था, ने दिनांक 04.07.2011 को मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा दायर विरोध याचिका को शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत किया जाए और धारा 200 सीआरपीसी के तहत विरोधी पक्षकार संख्या 4 का बयान दर्ज किया जाए।

11. आगे यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने मामले की कोई जांच किए बिना और बिना किसी विचार-विमर्श के दिनांक 03.04.2015 का विवादित समन आदेश पारित किया, जिसमें आवेदक को धारा 325, 392, 506 आईपीसी के तहत अपराध के मुकदमे के लिए तलब किया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. आवेदक की ओर से आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी इस मामले के शिकायतकर्ता नहीं हैं, बल्कि शिकायत विपक्षी संख्या 4/धर्मेंद्र सिंह सूर्यवंशी द्वारा दर्ज की गई है। विपक्षी संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी द्वारा दिए गए आवेदन पर, मुकदमा अपराध संख्या 131/2004 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध, विपक्षी संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, बल्कि विपक्षी संख्या 4 ने यह आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है कि उसकी घड़ी छीन ली गई थी। विरोधी पक्षकार संख्या 4/शिकायतकर्ता का धारा 200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया गया था और धारा 200 के तहत दिए गए बयान को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और उसे घटना की जानकारी वीरेंद्र और गुड्डू से मिली थी। दूसरे गवाह राजेश का धारा 202 के तहत दर्ज बयान यह नहीं दर्शाता कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 की घड़ी छीनने का कोई आरोप है। मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया और धारा 200 के तहत दिए गए बयान पर विचार नहीं किया। एक बार जब विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने अदालत के समक्ष बयान दे दिया है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं था, तो मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है और पूरी कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है।

13. अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि गवाहों के बयान दर्ज करने और जांच करने के बाद

अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट में भी घड़ी छीनने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री राव नरेंद्र सिंह ने आवेदन का विरोध किया है।

15. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पांडे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री राधिका वर्मा और श्री श्रेष्ठ श्रीवास्तव, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री राव नरेंद्र सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

16. रिकॉर्ड से पता चलता है कि विरोधी पक्षकार संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी द्वारा दिए गए आवेदन पर, मुकदमा अपराध संख्या 131/2004 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद, पुलिस ने मामले की जांच की और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध, विरोधी पक्षकार संख्या 3/अहिंसक बाजपेयी ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, बल्कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने विरोध दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने उसकी घड़ी छीन ली थी। विरोधी पक्षकार संख्या 4/शिकायतकर्ता का धारा

200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया गया था और धारा 200 सीआरपीसी के तहत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विरोधी पक्षकार संख्या 4 ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और उसे घटना की जानकारी वीरेंद्र और गुड्डू से मिली थी। अन्य गवाह, अर्थात् राजेश का धारा 202 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया बयान, इससे यह संकेत नहीं मिलता कि घड़ी छिनने का कोई आरोप है।

17. यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया और धारा 200 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान पर विचार नहीं किया। विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा न्यायालय के समक्ष बयान देने के बाद वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। इस मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है और संपूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

18. तदनुसार आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, लखीमपुर खेरी द्वारा शिकायत मामला संख्या 53/2011 (अहिंसक बाजपेयी बनाम सुखबीर सिंह) में दिनांक 03.04.2015 को पारित समन आदेश को रद्द किया जाता है और सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/एफटीसी, लखीमपुर खेरी के न्यायालय में लंबित शिकायत मामला संख्या 53/2011 की संपूर्ण कार्यवाही आवेदक के संबंध में निरस्त की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह)

25 मार्च, 2026

मोहित सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।